कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर।

पत्रांकः—1724/सात—सी0एफ0—48/2016—17—भूलेख दिनांकः— 08 जून 2017

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा—31 की उपधारा——2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम—28 के उपनियम—1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं **डा0 सारिका मोहन जिलाधिकारी सीतापुर** संलग्न सूची में उल्लिखित जनपद सीतापुर की समस्त 07 तहसीलों की खतौनी में प्रत्येक सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार ''अंश निर्धारण स्कीम'' का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ।

जनपद की समस्त 07 तहसीलों में गाटा अंश निर्धारण का कार्य जिन ग्रामों की 1425 से 1430 फसली की नई कम्प्यूटरीकृत खतौनियाँ तैयार होनी है, से प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद की समस्त तहसीलों के ग्रामों की सूची कलेक्ट्रेट सीतापुर के पटल पर तथा सम्बन्धित तहसील के ग्रामों की सूची उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, सम्बन्धित तहसील के विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर देखी जा सकती है।

ह0
(डा0 सारिका मोहन)
जिलाधिकारी
सीतापुर।

क0 सं0	गतिविधि	समय सीमा
1	2	3
1	जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज सहखातेदारों के अंश निर्धारण सूचना का प्रकाशन किया जाना।	05 जून से 15 जून 2017 तक।
2	खतौनी में दर्ज सहखातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रुप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र—ख0पु0—2 में तैयार किया जाना।	16 जून से 31 जुलाई 2017 तक।
3	लेखपालों द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकारपत्र—ख0पु0—3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र—8 में नोटिस जारी कर लेखपालों के माध्यम से तामील कराया जाना।	01 जुलाई से 15 जुलाई 2017 तक।
4	खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रारम्भिक रुप से किये गये अंश के निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकारपत्र—ख0पु0—3 में विवरण अंकित करते हुए यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जाना।	01 सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक।
5	राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम समिति से परामर्श, स्थानीय जॉच पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश्स पारित करना।	01 अक्टूबर 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक।
6	खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा—116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी का निर्णय हेतु अग्रसारित करना।	01 सितम्बर से 15 नवम्बर 2017 तक।